राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 15 दिसम्बर, 1988

क्रमांक 1222-ज-(2)-88/45284.—श्री बालू राम, पुत्र श्री गणेसी, निवासी गांव तलवानी, तहसील लुहारू, जिला भिवानी को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 3564-र-III-70/17634, दिनांक 31 जुलाई, 1970 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमाक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रु० से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब श्री बालू राम को दिनांक 30 जून, 1987 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री बालू राम की विधवा श्रीमती बुजी के नाम खरीफ, 1987 से 300 रुपये वार्षिक की दर से, सदन में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते है ।

दिनांक 14 दिसम्बर, 1988

क्रमांक 1319–ज(2)-88/45269.—श्री रिछपाल सिंह, पुत्र श्री सुखदेव निवासी, गांव भान्डवा, तहसील दादरी, जिला भिवानी को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 3836-जे एन-66/6497, दिनांक 16 अप्रैल, 1966 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मन्जूर की गई थी ।

2. अब श्री रिछपाल सिंह की दिनांक 2 अगस्त, 1984 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरुप, हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री रिछपाल सिंह की विधवा श्रीमती सिरिया के नाम खरीफ, 1985 से 300 रुपये वार्षिक की दर से, सनद मे दी गई, शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं ।

दिनांक 19 दिसम्बर, 1988

क्रमांक 1405-ज(2)-88/45751.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(ए) तथा (3)(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री बचन सिंह, पुत्र श्री सेवा सिंह, गांव गुरुसर, तहसील रतिया, जिला हिसार को खरीफ, 1965 से 1970 तक 100 रुपये वार्षिक खरीफ, 1970 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रु० वार्षिक सनद में दी गई शर्तों के अनुसार जागीर सहर्ष प्रदान करते हैं ।

राज कुमार अरोड़ा,

अवर सचिव, (लेखा तथा जागीर),
हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग ।

REVENUE DEPARTMENT

The 15th December, 1988

No. 5403-R-388/45361.—Whereas it appears to the Governor of Haryana that the land described in the specification below, is needed by the Government, at public expenses, for a public purpose, namely, for the construction of residential houses for the employees serving in Deputy Commissioner's and subordinate offices being members of "The Government Employees Cooperative House Building Society Limited, Narnaul at Nasibpur (Regd. No. 283-N)", it is hereby notified that the land described in the specifications below is needed for the above purpose.

This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894, for the information of all to whom it may concern.

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section, the Governor of Haryana hereby authorises the District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector, Narnaul and such other officers or officials, for the time being engaged in the undertaking, to enter upon and survey any land in the locality and to do all other acts required or permitted by that section.

Any person interested who has any objection to the acquisition of the land in the locality may within a period of thirty days of the publication of this notification in the Official Gazette or in two Newspapers or publicity in the locality whichever is later, file an objection, if any, in writing before the District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector, Narnaul.

Plans of the land may be inspected in the office of the District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector, Narnaul, District Mahendergarh.

SPECIFICATION

District	Tehsil	Locality/Village and Hadbast No.	Rectangle/ Khasra No.	Area	
1	2	3	4	5	
				Bigha	Biswas
Mohindergarh	Narnaul	Narnaul, H. B. No. 159	1624	00	02
			1625	13	06
			1626	1	10
			Total	14	18
				or 9·31 Acres	

A. BANERJEE,
Secretary to Government, Haryana.
Revenue Department.

राजस्व विभाग

दिनांक 15 दिसम्बर, 1988

संख्या 5403-र-3-88/45361.— चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि, सरकार द्वारा, सरकारी कार्य पर, सार्वजनिक परयोजन, अर्थात् उपायुक्त एवं अधीनस्थ कार्यालयों में सेवारत कर्मचारियों के लिए जो नसीबपुर राजकीय कर्मचारी सहकारी भवन निर्माण समिति लिमिटिड, नारनौल नसीबपुर के सदस्य है, रिहायशी भवनों के निर्माण के लिए अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित परिक्षेत्र में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए दी जाती है जिनका इससे सम्बन्ध हो।

उपर्युक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलैक्टर, नारनौल, तथा इस समय कार्य में लगे सभी अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने सेवकों तथा कर्मकारों सहित, परिक्षेत्र में किसी भूमि पर प्रवेश तथा सर्वेक्षण तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे इस भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप हो, इस अधिसूचना के राजपत्र या दो समाचार पत्रों में प्रकाशन या उस परिक्षेत्र में प्रचार की तिथि से, जो भी बाद में हो, तीस दिन की अवधि के भीतर जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलैक्टर, नारनौल के समक्ष लिखित रूप में आक्षेप यदि कोई हो, दायर कर सकता है ।

भूमि के नक्शे का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलैक्टर, नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़, के कार्यालय में किया जा सकता है ।

विशिष्टियां

जिला	तहसील	परिक्षेत्र	हदबस्त नं०	आयत/खसरा नं०	क्षेत्रफल	
					बीघा	बिसवा
महेन्द्रगढ़	नारनौल	नारनौल	159	1624	0	02
				1625	13	06
				1626	1	16
				जोड़	14	18
					अर्थात् 9.31	एकड़

ए० बैनरजी,

सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग ।

(To be substituted for the Notification bearing same Number and Date)

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

The 19th October, 1988

No. 12/70/80-3 Emp.—The Governor of Haryana is pleased to consitute the District Committee on Employment, Sonepat, consisting of the following members: —

OFFICIAL

1. Deputy Commissioner, Sonepat .. Chairman
2. Additional Deputy Commissioner, Sonepat .. Member
3. Secretary, District Sainik Board, Sonepat .. Do
4. District Education Officer, Sonepat .. Do
5. General Manager, District Industries Centre, Sonepat .. Do
6. Principal, I. T. I., Sonepat .. Do
7. General Manager, Haryana Roadways, Sonepat .. Do

8.	Chief Medical Officer, Sonepat	..	Member
9.	Sh. K. N. Singal, Punjab National Bank, Sonepat	..	Do
10.	District Employment Officer, Sonepat	..	Secretary

NON-OFFICIAL MEMBERS

1.	Shri Hawa Singh, President, CITU, Sonepat	..	Member Workers Representatives
2.	Shri S. K. Gulati. Manager, Atlas Cycle Industry, Rai (Sonepat)	..	Member Employeet Representatives.
3.	Shri Jai Karan. President, Ambedakar Education Society, Sonepat	..	Member Representative of S. C. Association.
4.	Shri S. D. Simon, Manager, Mission School, Sonepat	..	Member Minority Community.
5.	Smt. S. Bhan, Bhartiya Gramin Mahila Association, Sonepat	..	Member Representative of Workmen's Association.
6.	Shri Ved Singh Malik, MLA Kailana (Sonepat)	..	Member
7.	Shri Mohinder Singh Rohat, Sonepat M. L. A.	..	Do

2. The object of the committee would be to advise the District Employment Exchange, Sonepat on problems relating to employments creation of Employment opportunities and working of the National Employment, Service. Its functions would be as follows:—

(i) To review employment information and to assess employment and unemployment trends, urban and rural and suggest measures for expanding employment opportunities;.

(ii) To advice on the development of the National Employment Service.

(iii) To advise on development of personnel retrenched on the completion of development projects.

(iv) To consider special programmes relating to educated unemployed,

(v) To advise on the development of VOCATIONAL GUIDANCE and employment Counselling at Employment Exchanges, and

(vi) To assess the requirement of trained craftman for advise the National Counsel for Training in Vocational Trades.

3. The terms of the office of the member of the committee would be two years.

4. If a member of the Committee fails to attend two consecutive meetings of the committee without sufficient cause and without previous intimation to the Chairman, he would be liable to be removed by the Government. The members are exepected to keep all information of confidential nature as secret unless authorised to disclose the same to the public.

5. This notification is issued with the concurrence of Finance Department conveyed,— *vide* their U. O. No. 9/1/16-4FD-III/78/2694(88). dated 16th September, 1988.

Dated Chandigarh,
The 19th December, 1988.

MEENAXI ANAND CHAUDHRY
Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Labour and Employment Department.